Entry Tax exemption

प्रवेश कर :—

नई औद्योगिक इकाईयों को प्रथम कच्चे माल के क्रय दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रवेश कर मुक्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(कण्डिका क्रमांक 4.2.16)

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 04.04.2005

ए–3–68/2004/1/पांच (21) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उपाबंध–एक में विनिर्दिष्ट किसी औद्योगिक इकाई को स्थापित करने वाले व्यापारियों के वर्ग से भिन्न नीचे दी गई अनुसूची का कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को उसके कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुये उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है. अर्थातः—

अनुसूची

अनु–क्रमांक	व्यापारियों का वर्ग	कालावधि	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है।
1.	2.	3.	4.
1 2	रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने मध्यपदेश राज्य के किसी भी जिलें में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है। पंजीयत व्यापारी जिसने बीमार/बंद औद्योगिक इकाई जिसमें स्थायी पूंजी में नया निवेश	1 अप्रैल, 2004 या उसके पश्चात् औद्योगिक इकाई में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु किये गये प्रथम क्रय की तारीख से पॉच वर्ष की कालावधि के	(1) व्यापारियों को प्रवेश कर से छूट तब उपलब्ध होगी, जब उनके द्वारा प्रवेश कर अधिनियम से संलग्न अनुसूची 2 तथा अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट किये गये माल का उनकी औद्योगिक इकाई में माल के विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग अथवा आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग अथवा विनिर्मित माल की पैकिंग में उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाये। (2) ऊपर खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन

	पुनर्जीवित इकाई में स्थायी पूंजी में पूर्व निवेश का 50 प्रतिशत से अधिक हो और जिसके संबंध में उच्च स्तरीय समिति ने उद्योग संवर्धन नीति 2004 के उपबंधों के अधीन ''विशेष पैकेज'' स्वीकृत किया गया हो।	लिये।	हेतु व्यापारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया माल मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अधीन जारी उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में कच्चे माल अथवा आनुषंगिक माल अथवा पैकिंग सामग्री के रूप में विनिर्दिष्ट होना चाहिये। (3) इस अधिसूचना के अधीन छूट की सुविधा उसी स्थिति में उपलब्ध रहेगी जबकि व्यापारी उपाबंध – दो में दिये गये उपबंधों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु जारी पात्रता प्रमाण–पत्र धारण करता हो। (4) इस अधिसूचना के अधीन छूट की सुविधा केवल पात्रता प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान उपलब्ध रहेगी।

स्पष्टीकरण – अनुक्रमांक–2 के प्रयोजन के लिये, स्थायी पूँजी में पूर्व निवेश से अभिप्रेत है,–

(क) पुनर्वासित इकाई के संबंध में, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) द्वारा इकाई को बीमार घोषित किये जाने की दिनांक को स्थायी आस्तियों का ह्रासित मूल्य।

(ख) क्रय कर अधिग्रहण की स्थिति में, इकाई का क्रय मूल्य या क्रय दिनांक को स्थायी आस्तियों का ह्रासित मूल्य, जो भी अधिक हो।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ''रजिस्ट्रीकृत व्यापारी,'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी।

3. इस अधिसूचना के अधीन छूट निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध होगी, अर्थात् :–

(1) (क) व्यापारी इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी से उपाबंध – दो में विनिर्दिष्ट प्ररूप तथा रीति में स्थायी पात्रता प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे माल को विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जिसके संबंध में छूट उपलब्ध है और उसके कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी को ऐसे प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

(ख) ऐसे प्रमाण–पत्र की एक प्रति व्यापारी द्वारा अपनी उस तिमाही की विवरणी के साथ प्रस्तुत की जायेगी जिसके दौरान ऐसा प्रमाण–पत्र उसे जारी किया गया था।

(2) यदि व्यापारी को पात्रता प्रमाण–पत्र, उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के कारण या उसके द्वारा दी गई अशुद्ध अथवा मिथ्या जानकारी के आधार पर जारी किया गया है तो प्रमाण–पत्र उस तारीख से प्रतिसंहृत कर दिया जावेगा, जिससे वह जारी किया गया था और तदुपरी इस अधिसूचना के अधीन दी गई ऐसी छूट वापस हो जावेगी और वह सम्पूर्ण कर की रकम जिसकी छूट का लाभ रद्दकरण की तारीख तक ले लिया गया है, व्यापारी से एकमुश्त वसूली योग्य होगी।

(3) (क) यदि कोई व्यापारी नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करता है, किन्तु उसी उत्पाद के उत्पादन में लगी राज्य के भीतर की किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई को बंद कर देता है या उसका उत्पादन जानबूझकर सारवान रूप से घटाता है तो पात्रता प्रमाण–पत्र ऐसा प्रमाण–पत्र

जारी किया जाना मंजूर करने वाली समिति द्वारा रद्द किया जाने के लिये उत्तरदायी होगा तथा ऐसा रद्दकरण उस तारीख से प्रभावशील होगा जिससे उत्पादन में ऐसी सारभूत कमी हुई है।

(ख) उत्पादन में सारभूत कमी हुई तब समझी जावेगी, यदि उसी उत्पादन का उत्पादन पूर्ववर्ती 5 वर्ष के औसत उत्पादन के स्तर से या संस्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत से, उनमें से जो भी कम हो, नीचे गिर गया है।

(4) ऐसा कोई व्यापारी जो किसी औद्योगिक इकाई के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने का विकल्प लेता है और जो मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन किसी अन्य कारोबार के कार्यकलापों के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र पूर्व से ही धारण करता है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण के होते हुए भी ऐसी औद्योगिक इकाई के लिये विनिर्माता के रूप में पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त करेगा।

(5) व्यापारी छूट की कालावधि के दौरान औद्योगिक इकाई को चालू रखेगा और छूट की कालावधि के अवसान की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के लिये भी उसे चालू रखेगा।

(6) (क) उद्योग आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना व्यापारी,–

(1) सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई या उसके भाग की अवस्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा, या

(2) औद्योगिक इकाई में कोई सारभूत कमी नहीं करेगा, या

(3) औद्योगिक इकाई में कुल पूंजी निवेश के किसी सारभूत भाग का व्ययन नहीं करेगा, या

(4) उस कालावधि के दौरान जिसमें छूट का लाभ उठाया जा रहा है तथा छूट की पात्रता की कालावधि के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर स्वामित्व में कोई परिवर्तन भी नहीं करेगा।

(ख) यदि स्वामित्व में परिवर्तन करना अनुज्ञात किया जाता है तो इस अधिसूचना के अधीन समस्त अधिकार तथा दायित्व नये स्वामी को संक्रात हो जायेंगे।

(7) व्यापारी मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासियों को रोजगार उपलब्ध करायेगा जो पात्रता की कालावधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान उसकी औद्योगिक इकाई में कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा ऐसे व्यापारी प्रत्येक वर्ष की अंतिम विवरणी के साथ उस प्रभाव का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा और ऐसा शपथ–पत्र वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा नमूने के आधार पर सत्यापित किया जा सकेगा।

(8) व्यापारी मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के साथ एक करार निष्पादित करेगा।

(9) व्यापारी, प्रवेश कर अधिनियम के अधीन दी जाने के लिये अपेक्षित विवरणियां नियिमत रूप से देगा।

(10) प्रत्येक व्यापारी क्रय किये गये माल के, जिनके संबंध में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ लिया जा रहा है, ब्यौरे उपदर्शित करते हुए एक खाता संधारित करेगा।

(11) यदि कर की वह रकम जिसके संबंध में छूट का लाभ लिया जा रहा है, एक वर्ष में 5.00 लाख रूपये से अधिक हो जाती है तो पात्रता प्रमाण–पत्र तभी विधिमान्य होगा, जब व्यापारी किसी चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित, सुसंगत कालावधि में इकाई में उत्पादन संबंधी प्रमाण–पत्र समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दे।

(12) (क) इस अधिसूचना के उपबंधों का तथा उसके अधीन शर्तों में से किसी शर्त का या प्रवेश कर अधिनियम या उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त बाल श्रमिकों के नियोजन से संबंधित किसी अधिनियमिति में से किसी अधिनियमिति का भंग, इस अधिसूचना के अधीन पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करने की मंजूरी देने वाली समिति द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

(ख) यदि परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो ऐसे रद्दकरण को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकेगा।

(Para No. 4.2.16)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal,Dated 4/4/05

No. A-3-68/2004/1/V(21) In exercise of the powers conferred by section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam,1976 (No.52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government hereby exempts in whole from the payment of entry tax under the said Act, the class of dealers specified in column (2) of the Schedule bellow, other than those establishing any of the industrial units specified in Annexure-1, for the period specified in column(3) thereof, subject to the restrictions and conditions specified in column(4)of the said Schedule, namely:-

SCHEDULE

S.No	class of dealers	period	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
1	2	3	4
1. 2.	Registered dealer who establishes a new industrial unit in any of the districts in the State of Madhya Pradesh. Registered dealer who has acquired a sick/closed industrial unit in	For a period of five years from the date of effecting the first purchase of raw material as on or after 1st April 2004 for consumption in the industrial unit.	(1) The exemption from the payment of entry tax shall be available to the delears when they inter into a local area, any goods specified in Schedule II and Schedule III appended to the Entry Tax Act for consumption or use as raw material or for use as incidental goods in the manufacture of goods or for use in the packing of goods

	which new investment in fixed capital is more than 50% of the old investment in fixed capital of the revived industrial unit and in respect of which the high Level committee has sanctioned a "Special package" under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004.		manufactured in his industrial unit. (2) The goods entered by the dealer into a local area for the purpose specified as raw material or incidental goods or packing material in his registration certificate under the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994. (3) The facility of exemption under this notification shall be available only when the dealer holds an eligibility certificate for that purpose issued to him by the competent authority in accordance with the provisions in the Annexure-II. (4) The facility of exemption under this notification shall be available only during the period of eligibility specified in the eligibility certificate.

Explanation. - For the purpose of serial No 2, the old investment in fixed capital means.

(a) in respect of rehabilitated unit, the depreciated value of the fixed assets as on the date of unit is declared sick by the board of industrial finance and reconstruction (BIFR)

(b) in case of acquisition by purchase, the purchase, value of the unit or the depreciated value of the fixed assets as on the date of purchase, wichever is more.

2. For the purpose of this notification, "Registered Dealer" means a dealer registered dealer under the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994

3. The exemption under this notification shall be available subject to the follwing general conditions, namely :-

(1) (a) The dealer shall obtain a permanent eligiblity certificate from the officer authorised for the purpose in the form and manner specified in Annexure II specifying inter-alia the goods in repect of which the exemption is available and shall furnish a copy of such certificate to the assessing authority at the time of his assessment.

(b) A copy of such certificate shall be furnished by the dealer along with his return for the quarter during which such certificate was issued to him.

(2) If an eligiblity certificate has been issued due to misrepresentaion of facts or on the basis of incorrect or false information furnished by him, the certificate shall be revoked from the entire amount of tax in repect of which exemtion has been availed of up of the date of cancellation shall be recoverable from the dealer in one instalment.

(3) (a) If a dealer establishes a new industrial unit but closed down or deliberately reduces production substantially in as existing industrial unit whithin the state engaged in production of the same product, the eligibility certificate shall be liable to be candelled by the committee sanctioning the issue of such certificate and such cancellation shall take effect from the date on which such substantial reduction in production has taken place.

(b) A subsantial reduction shall be deemed to have occurred if the production of the same product has fallen below the level of the average production of the preceding 5 years of 60 % of the installed capacity, whichever is less.

(4) A dealer who opts to avail of exemption under this notification in repect of an industrial unit and who already holds a registration certificate under the Madhya Pradesh Vanikyik Kar Adhiniyam, 1994 for any other business activity shall, notwithstanding such registration, obtain a separate registration certificate as a manufacturer for such industrial unit.

(5) The dealer shall keep the industrial unit running during the period of eligibility for exemption and also continue to do so far a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility for exemption.

(6) (a) Without the prior permission in writing of the industries Commissioner the dealer shall not :-

- (i) change the location of the whole or part of the industrial unit; or
- (ii) effect any substantial contraction of the industrial nuit; or
- (iii) dispose of any substantial part of the total capital investment in the industrial unit; or
- (iv) effect any change in the ownership during the period in which the facility of exemption is availed of and also within a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility for exemption.

(b) in case a change in ownership is permitted, all the rights and liabilities under this notification shall pass on the new owner.

(7) The dealer shall provide employnet to bonafide residents of the State of Madhya Pradesh, which shall not be less than fifty percent, during each year of the period of eligibility, of the total number of employees in his industrial unit, and such dealer shall submit an affidavit to the effect along with the last return of each year, and Such affidavit may be verified on sample basis by the officers of the Commercial Tax Department.

(8) The dealer shall execute an agreement with the Government of Madhya Pradesh in the Commerce and Industries Department.

(9) The dealer shall regularly furnish the returns required to be furnished under the Entry Tax Act.

(10) Every dealer shall maintain a ledger including details of materials purchased in respect which the facility of exemption from the payment of tax is availed of.

(11) If the amount of tax in respect of which the facility of exemption is availed of exceeds Rs. 5 lacs in a year the certificate of eligibility shall be valid only if the dealer produces before the appropriate Commercial Tax Officer a certificate of production in the unit in the relevant period duly signed by a Chartered Accountant.

(12) (a) A Breach of any of the provisions and conditions in this notification or of any of the provisions of the Entry Tax Act or Rules made thereunder or any enactments for the time being in force regarding employment of child labour shall render the eligibility certificate liable for cancellation by the Committee sanctioning the issue of such certificate under this notification.

(b) If the circumstances so warrant, such cancellation may be given retrospective effect

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal, Dated: 13/09/2005

No FA3-68/2004/1/V(45). In exercise of the powers conferred by section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiyniyam, 1976(No 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification No A-3-68/2004/1/V(21).dated 4.4.2004, namely :

AMENDMENT

In the said notification,-

1. After paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely :-

"2A. An existing industrial unit undertaking expansion or diversification or technological up gradation by making additional fixed capital investment equal to 50% of existing fixed capital investment or more, but not less than rupees 5 crore, shall be eligible to avail of the facility at par with new industrial unit under this notification in respect of such expansion or diversification or technological up gradation. This facility shall be available only on the additional production over and above the average production of last three years or the existing capacity, whichever is more, of the existing unit. Industrial unit which has not completely utilized the existing capacity will not get benefit under this notification."

2. For item 61 of Annexure- I the following item shall be substituted, namely :-

"61. Industrial unit undertaking expansion or diversification or modernization (other than Industrial unit which is eligible under paragraph 2A of this notification)

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(Dr.A.N Asthana)
Principal Secretary
Govt.of M.P
Commercial Tax Department

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal, Dated 13/09/2005

No FA- 3-68/04/1/V(46), In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 13 of the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994(No. 5 of 1995)(hereinafter referred to as the Adhiniyam), the State Government, Hereby, notifies the rate of tax specified in column(2) of the Schedule below as the other concessional rate of tax for the purpose of the said clause in respect of the class of goods specified in column(1), subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Schedule:

SCHEDULE

Class of goods	Other concessional rate of tax	Restrictions and conditions subject to which concession is granted
(1)	(2)	(3)
Raw material as defined in Section 2(r) of the Adhiniyam	Zero per cent	1. The goods specified in column (1) are purchased by an industrial unit which is registered under the Adhiniyam and has been established in a Food Park developed under the Udyog Sanvardhan Niti, 2004. 2. The concession shall be available to an industrial unit which is eligible for exemption from entry tax under Notification No.A-3-68-2004-1-V (21), 4.4.2005. 3. The tax collected is shown separately in the invoice issued by the selling registered dealer. 4. The amount of set-off shall be adjusted against the tax payable on the sales of goods manufactured. In no case amount of set-off shall be refunded.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(Dr.A.N Asthana)
Principal Secretary
Govt.of M.P

अपात्र सूची (Ban List)
उपाबंध – एक

ऐसा व्यापारी जो नीचे विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाईयों में से किसी को स्थापित करता है, प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं करेगा :–

1– आरा मिल

2– लोहा या स्टील या स्क्रेप को ईट (ब्लॉक) के रूप में दबाना

3– खाद्य तेल रिफाइन करना

4– शराब का सम्मिश्रण या विनिर्माण

5– चाय का सम्मिश्रण या विनिर्माण

6– किसी माल की पुनः पैकिंग

7– मूंगफली एवं चिरोंजी की छिलाई

8– तिल्ली की भूसी को अलग करना

9– सुपारी काटना

10– पान बीड़ा तैयार करना

11– जलाऊ लकड़ी की कटाई

12– पेड़ो से गोंद का निस्तारण या संग्रहण

13– तैंदूपत्ते का संग्रहण

14– लस्सी तैयार करना

15– विनियरिंग तथा प्लायवुड उद्योग

16– ईंट निर्माण (मशीनीकृत इकाईयों व फायर ब्रिक्स निर्माण को छोड़कर)

17– कोक और कोल ब्रिकेट का विनिर्माण (मशीनीकृत प्लांट को छोड़कर)

18– प्लायवुड तथा काष्ठ (टिम्बर) के बक्सों का विनिर्माण

19– लकड़ी के कोयले का विनिर्माण

20– खाने का नमक का शुद्धीकरण

21– बारदाना और टाट की मरम्मत

22– पैकिंग हेतु लकड़ी का विनिर्माण

23– सभी प्रकार के मसालों का विनिर्माण

24— सभी प्रकार के मसालों को, जिसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची तथा अन्य मसाले सम्मिलित है, पीसना

25— खनिजों का चूर्ण बनाना

26— गुड़ विनिर्माण

27— सुतली एवं रस्सी विनिर्माण

28— सभी प्रकार के फर्श, दिवाल एवं छत पर लगने वाले टाईल्स का, जिसमें खपरैल और कवेलू सम्मिलित है, विनिर्माण

29— कागज की थैलियों एवं कागज के कोन का निर्माण

30— स्टोन क्रसिंग (गिट्टी तोड़ना)

31— लाख तथा चपड़ी विनिर्माण

32— सभी प्रकार के मुद्रण प्रक्रियाएं

33— बर्फ विनिर्माण

34— कलर लेबोरेटरीज

35— सोना या चांदी के बुलियन के आभूषण और अन्य वस्तुओं का विनिर्माण

36— आईसक्रीम का विनिर्माण

37— बर्तन विनिर्माण

38— लकड़ी तथा लोहे के फर्नीचर का विनिर्माण

39— खिड़की तथा दरवाजे एवं उनकी चौखटों का विनिर्माण

40— स्टोन कटिंग तथा पालीशिंग

41— (एक)— लोहा एवं इस्पात की गेल्वनाइजिंग जो किसी एकीकृत प्लांट या प्रक्रिया का अंग न हो और उसमें केवल गेल्वनाइजिंग प्लांट एवं मशीनरी में रूपये 1.00 करोड़ से कम का विनिधान हो

(दो)— निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रिया जहां औद्योगिक इकाई प्लांट एवं मशीनरी में 1.00 करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक पूंजीनिवेश से स्थापित की गई है, से भिन्न लोहा एवं इस्पात की प्रोसेसिंग :—

(क)— लोहा तथा इस्पात के स्क्रेप, पिग आयरन और/या स्टील सेमीज (इनगॉट्स, स्लैब्स, ब्लूम्स और बिलेट्स) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 14 के खंड (4) में विनिर्दिष्ट लोहा एवं इस्पात की डिफेक्टिव्ज कटिंग, रिजेक्ट्स एवं छोर के टुकड़ों के उपयोग से स्टील सेमीज (इनगार्ड्स, स्लेब्स, ब्लूम्स तथा बिलेट्स) वायर रॉड्स, मोल्ड्स, बॉटम प्लेट, डिस्क्स, फोर्जिंग, तथा स्टील कास्टिंग्स एवं/अथवा स्टील स्ट्रक्चरर्ल्स (एंगल, ज्वाईंट्स, चेनल) टी एवं जेड़ सेक्शन्स (स्टील बार्स, राउंड्स, रॉड्स, स्क्वेयर्स, प्लेट्स, आक्टोगन्स, हेक्सागन्स, प्लेन एवं रिब्ड् या ट्विस्टेड, सीधी लंबाई में क्वाईल के रूप में) शीट्स, हूप्स, स्ट्रिप्स एवं स्केल्प दोनों प्रकार की काली एवं गेल्वेनाईज्ड, हॉट एंड कोल्ड रोल्ड, प्लेन एवं नालीदार सभी प्रकार की लंबाई में, क्वाइल अथवा रोल्ड रूप में अथवा रिवेटेड रूप में, का विनिर्माण

(ख)— केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 14 के खंड (चार) में यथा विनिर्दिष्ट कोल्ड रोल्ड या हाट रोल्ड शीट्स (चाहे वह सीधी लंबाई में हो या क्वाईल के रूप में) तथा हूप्स एवं स्ट्रिप्स के उपयोग से स्टील ट्यूब, पाईप, शीट पाइलिंग सेक्शन अथवा अन्य किसी प्रकार के रोल्ड सेक्शन का विनिर्माण

(ग)— स्टील रॉड्स से स्टील वायर का खींचना,

(तीन)— प्लांट एवं मशीनरी में 10.00 करोड़ रूपये से अनधिक के पूंजीनिवेश से स्थापित औद्योगिक इकाई से भिन्न किसी इकाई व्दारा हाट रोल्ड शीट्स (चाहे वह लंबाई में या क्वाईल रूप में) से कोल्ड रोल्ड शीट्स (चाहे वह लंबाई में या क्वाईल रूप में) का विनिर्माण,

स्पष्टीकरण:— भवन एवं अन्य अधोसंरचना प्लांट तथा मशीनरी में सम्मिलित नहीं होगी.

42— केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (दो—सी) में यथा विनिर्दिष्ट कच्चा (क्रूड) पेट्रोलियम तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद एवं उपोत्पाद का शुद्धीकरण,

43— भारत सरकार के उपक्रमों व्दारा स्थापित इकाई एवं इन उपक्रमों के संयुक्त क्षेत्र की इकाईयॉ

44— भारत सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व के औद्योगिक उपक्रम

45— किसी उद्यमी द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बन्द औद्योगिक इकाई (उक्त अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के समक्ष कालम (2) में विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाई को छोड़कर)

46— मध्य प्रदेश राज्य के भीतर विद्यमान किसी इकाई का अंतरण, स्थानांतरण या उद्ध्वंसन करके या बन्द करके स्थापित की गई नई औद्योगिक इकाई

47— कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग, प्लांट तथा मशीनरी में एक करोड़ रूपये से अधिक के पूंजी निवेश वाले मशीनीकृत उद्योगों को छोड़कर)

48— सभी प्रकार की तेल मिल जिसमें साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट सम्मिलित है.

49— उदजनित वनस्पति तेल विनिर्माण

50— सभी प्रकार के रंग एवं पेंट का विनिर्माण

51— बायो—उर्वरक को छोड़कर अन्य उर्वरक का विनिर्माण

52— कूलर्स का विनिर्माण

53— खनिज जल एवं पेकेज्ड पेय जल का विनिर्माण

54— सभी प्रकार के पान मसाला एवं गुटका का विनिर्माण

55— सभी प्रकार के साबुन तथा डिटरजेंट का विनिर्माण

56— सभी प्रकार के प्लास्टिक से बने बैग्स, कंटेनर्स एवं वोवेन बैग्स का विनिर्माण

57— सभी प्रकार के कागज, ग्रे बोर्ड एवं ड्यूप्लेक्स बोर्ड का किसी भी प्रकार के पल्प से विनिर्माण

58— फ्रूट पल्प पर आधारित पेय से भिन्न सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स का विनिर्माण

59— सभी प्रकार के पारम्परिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे — बेसन मिल, दाल मिल, आटा मिल, मैदा मिल, चावल मिल, एक्सपेलर तेल मिल और पोहा एवं मुरमुरा उद्योग.

60– तम्बाखू उत्पाद एवं तम्बाखू पर आधरित उत्पाद का विनिर्माण

61– विस्तार या विविधिकरण या आधुनिकीकरण करने वाली औद्योगिक इकाई.

62– अन्य ऐसे उद्योग, जो कि राज्य सरकार व्दारा समय–समय पर अधिसूचित किए जायें.

ANNEXURE- I

A dealer who establishes any of the industrial units specified below shall not avail the exemption from the payment of entry tax –

1. Saw mils
2. Pressing of iron or steel scrap into blocks
3. Refining of edible oil
4. Blending or manufacturing of liquor
5. Blending or manufacturing of tea
6. Repacking of any goods
7. Decorticating of chironji and groundnut
8. Separation of tilli husk
9. Crushing of betel nut
10. Preparation of pan bida
11. Chooping of fire wood
12. Extraction or collection of gum fro trees
13. Collection of tendu leaves
14. Preparation of lassi
15. Veeneering and plywood industry
16. Manufacture of bricks (excluding mechanized plants and manufacture of fire bricks)
17. Manufacture of coke and coal briquettes (excluding mechanized plants)
18. Manufacture of boxes of plywood and timber
19. Manufacture of charcoal
20. Purifying of edible salt
21. Repairing of bardana and Hessian
22. Manufacture of wood for packing
23. Manufacture of all types of masala
24. Grinding of all types of masala including turmeric , coriander,chillies and other spices
25. Powdering of minerals
26. Manufacture of gur

27. Manufacture of sutli and rope
28. Manufacture of all types of floor, wall and roofing tiles including kavelu and ridges (khaprel)
29. Manufacture of paper bags paper cones
30. Stone crushing (breaking of gitti)
31. Manufacture of lac and chaperi
32. Printing processes of all types
33. Manufacture of ice
34. Colour laboratories
35. Manufacture of ornaments and other articles of bullion of gold and silver
36. Manufacture of ice cream
37. Manufacture of utensils
38. Manufacture of wooden and steel furniture
39. Manufacture of windows, doors and their frames
40. Stone cutting and polishing
41. (1) Galvanizing of iron and steel which is not a part of composite plant or activity and investment in the galvanizing plant and machinery alone is less than rupee one crore.

(2) Processing of iron and steel excluding the following manufacturing process where the industrial unit is established with a capital investment of rupee one crore or more on plant and machinery-

(a) Manufacture of steel semis (ingots ,slabes,blooms and billets of all quality ,shapes and sizes),wire rods, ingot ,moulds ,bottom plates ,discs ,forgings and steel casting and/ or steel structural (angles ,joists, channels ,tees,Z section)and steel bars (round ,squares ,flats, octagonal, hexagon .plain and ribbed or twisted in coil form as well as straight length)sheets, hoops stripes, and scalp, both black and galvanized ,hot and cold rolled, plain and corrugated in all qualities in straight length and in coil forms rolled and in riveted condition ,out of scrap of iron and steel ,pig iron and /or steel semis (ingots ,slabes,blooms and billets) and defectives ,rejects ,cutting or end pieces of any of the categories of iron and steel as specified in clause (iv)of section 14 of the central sales tax act 1956

(b)manufacture of steel tubes ,pipes sheet pilling section or any other rolled section out of cold rolled or hot rolled sheet(whether in straight length or in coilform)and hoops and stripes as specified in clause(iv) section 14 of the central sales tax act 1956.

(c) Drawing of steel wires out of steel rods

(3) Manufacture of cold rolled sheets (whether in straight length or in coilform)out of hot rolled sheets (whether in straight length or in coil form)by an industrial unit other than the industrial unit which is established with a capital investment not less than of rupee ten crore or more in plant and machinery.

Explanation- building and other infrastructure shall not be included **in** plant and machinery.

42. Refining of crude oil as specified in clause(ii-c) section 14 of the central sales tax act 1956 and other petroleum products and its by product.
43. Public sector undertaking of government of India and joint sector units of these undertakings.
44. Industrial undertakings wholly owned by government of India or state government.

45. A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than the industrial unit specified in column (2) against serial no.2 of the schedule)
46. A new industrial unit set up by transferring, shifting or dismantling or closing an existing unit within the state of Madhya Pradesh.
47. Cotton ginning and pressing industry excluding mechanized industry with a capital investment of more than rupee one crore in plant and machinery.
48. all types of oil mills including solvent extraction plant
49. Manufacture of hydrogenated vegetable oil
50 Manufacture of all types of color and paints
51. Manufacture of fertilizers and excluding bio fertilizer
52. Manufacture of coolers
53 Manufacture of mineral water and packaged drinking water
54. Manufacture of pan masala and gutka of all kinds
55. Manufacture of all types of soap and detergent
56. Manufacture of all types of bags, containers and woven sacks made of plastics
57. Manufacture of all types of paper, grey board and duplex board from any type of pulp
58. Manufacture of all types of soft drinks other than the drinks based on fruit pulp
59. traditional food processing industries of all kinds like Besan mill,,dal mill, atta mill, Maida mill, Rice mill, expeller oil mill, and Poha mill, and murmura industry.
60. Manufacture of tobacco product and products based on tobacco
61. Industrial unit undertaking expansion or diversification or modernization
62. Such other industries as may be notified by the State Government from time to time

उपाबंध–दो

1.(एक) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसने कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है और इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्त की सुविधा की वांछा करता है, प्ररूप–क में उस जिले के जिला व्यापार तथा उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को, जिसमें ऐसी औद्योगिक इकाई स्थित है, आवेदन करेगा तथा आवेदन सामान्यतः इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 90 दिन के भीतर किया जाएगा.

(दो) जहां ऐसा आवेदन उपर्युक्त तारीख के पश्चात किया गया हो, तथा ऐसे आवेदन पर विचार करने तथा पात्रता प्रमाण–पत्र मंजूर करने के संबंध में विनिश्चित लेने के लिये सक्षम समिति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन व्यापारी द्वारा पर्याप्त कारणों से समय पर नहीं किया जा सका, तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे विलम्ब को माफ कर सकेगी और आवेदन पर गुणागुण के आधार पर विचार कर सकेगी तथा उसका निपटारा कर सकेगी.

2. आवेदन प्राप्त करने वाला जिला व्यापार तथा उद्योग केन्द्र का महाप्रबंधक आवेदन की प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप अभिस्वीकृति देगा.

3. आवेदन प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन करेगा और यथास्थिति, जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन समिति या राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति या शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को एक रिपोर्ट, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा.

4. उक्त आवेदन की एक प्रति व्यापारी द्वारा उस वृत्त के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी प्रस्तुत की जायेगी.

5. समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी, आवेदन में दी गई विशिष्टियों की जांच तथा सत्यापन करने के पश्चात रूपये 3 करोड़ तक के पूंजी विनिधान के मामले में अपनी रिपोर्ट

उपायुक्त, वाणिज्यिक कर और रूपये 3 करोड़ से अधिक के पूंजी विनिधान के मामले में आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्रस्तुत करेगा.

6. इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर से छूट प्राप्ति के लिए ऐसे व्यापारियों द्वारा किये गये आवेदन पर विचार करने के लिए तीन समितियां होंगी, अर्थात :—

(एक) जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर या उसका नाम निर्देशिती, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी की पद श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो.	सदस्य
(3)	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम या उसका नाम निर्देशिती.	सदस्य
(4)	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य—सचिव

(दो) राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1)	भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
(5)	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश	सदस्य
(6)	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश	सदस्य—सचिव

(तीन) शीर्ष स्तरीय (अपेक्स) विनिधान संवर्धन सशक्त समिति, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1)	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
(2)	भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग	उपाध्यक्ष
(3)	भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर	सदस्य
(4)	भारसाधक मंत्री, वित्त	सदस्य
(5)	मुख्य सचिव	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य—सचिव

7. जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के लिए गणपूर्ति 3 से होगी, किन्तु अनुक्रमांक 2 पर उल्लेखित सदस्य की अनुपस्थिति में गणपूर्ति पूर्ण नही मानी जाएगी.

8. राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के लिए गणपूर्ति 4 से होगी, किन्तु अनुक्रमांक 2, 3 एवं 5 में से किन्ही दो सदस्यों की अनुपस्थिति में गणपूंर्ति पूर्ण नही मानी जाएगी.

9. शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के लिए गणपूर्ति 3 से होगी, किन्तु अनुक्रमांक 3 पर उल्लेखित सदस्य की अनुपस्थिति में गणपूर्ति पूर्ण नही मानी जाएगी.

10. जिला विनिधान संवर्धन समिति रूपये 3 करोड़ तक के पूंजी विनियोजन वाली औद्योगिक इकाइयों की पात्रता, राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति रूपये 3 करोड़ से अधिक, किन्तु रूपये 25 करोड़ तक के पूंजी विनियोजन वाली औद्योगिक इकाइयों की

पात्रता तथा शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति रूपये 25 करोड़ से अधिक के पूंजी विनियोजन वाली औद्योगिक इकाइयों की पात्रता का न्याय निर्णयन करेगी.

11. पात्रता प्रमाण—पत्र मंजूर करने के लिये रूपये 3 करोड़ तक के पूंजी विनिधान वाली औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले व्यापारियों द्वारा दिये गये आवेदनों पर जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामले में पात्रता प्रमाण—पत्र महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किया जायेगा.

12. पात्रता प्रमाण—पत्र मंजूर करने के लिये रूपये 3 करोड़ से अधिक, किन्तु रूपये 25 करोड़ तक के पूंजी विनिधान वाली औद्योगिक इकाइयॉं स्थपित करने वाले व्यापारियों द्वारा दिये गये आवेदनों पर राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामले में उन्हें पात्रता प्रमाण—पत्र उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया जायेगा.

13. पात्रता प्रमाण—पत्र मंजूर करने के लिये रूपये 25 करोड़ से अधिक के पूंजी विनिधान वाली औद्योगिक इकाइयॉं स्थपित करने वाले व्यापारियों द्वारा दिये गये आवेदनों पर शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामले में पात्रता प्रमाण—पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जायेगा.

14. (1) समिति सामान्यतः मास में एक बार अपनी बैठकें करेगी, किन्तु लंबित आवेदनों की संख्या की दृष्टि से बैठक बार—बार बुलाई जा सकेगी और समिति प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय कर सकेगी कि पात्रता प्रमाण—पत्र मंजूर किया जाए या उसके लिये किये गये आवेदन को खारिज किया जाए या अतिरिक्त जानकारी मंगवाई जाए.

(2) जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति अथवा राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति अथवा शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा प्रत्येक आवेदन का निपटारा किया जाएगा.

15. शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को या तो स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर अपने स्वयं के विनिश्चय का या राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की या राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना की व्याप्ति तथा लागू होने के संबंध में निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होंगी तथा शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

16. राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को या तो स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर अपने स्वयं के विनिश्चय का या जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की या जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना की व्याप्ति तथा लागू होने के संबंध में निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होंगी तथा राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति द्वारा जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति के विनिश्चय के विरूद्ध संदर्भित किये जाने पर किया किया गया विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

17. जिला स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति अपने स्वयं के विनिश्चय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु ऐसे मामलों से संबंधित वास्तविक स्थिति उसके द्वारा राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति को विनिश्चय के पुनर्विलोकन की तारीख से 30 दिन के भीतर संसूचित की जाएगी.

ANNEXURE-II

1(1) A registered dealer who establishes a new industrial units or and is desirous of availing of the facility of exemption from the payment of entry tax under this notification shall make an application in form-A to the General Manager.District trade and industries center of the district wherein such new industrial unit is located and the application shall be made ordinarily within the 90 days from the date of commencement of commercial production in the unit.

(2) where such application is made after the aforesaid date and committee competent to consider such application and to take a decision with regard to the grant of an eligibility certificate,is satisfied that the application could not be submitted by the dealer in time for sufficient reason ,than it may, for reason to be recorded in writing ,condone such delay and consider and dispose off the application on merits.

2. The General Manager, District trade and industries center receiving the application shall given the acknowledgement in token of the receipt of the application.

3. On receipt of the application the General Manager, District trade and industries center shall verify the particulars given in application and submit a report of the district level investment Promotion Empowered Committee or the State level investment Promotion Empowered Committee of the Apex investment Promotion Empowered Committee, as the case may be within 30 days from the date of the receipt of the application.

4. A copy of the said application shall also be sent by the dealer to his appropriate Commercial Tax Officer of the circle.

5. The appropriate Commercial Tax Officer shall after enquiry and verification of the particulars given in the application ,submit his report to the Deputy commissioner of commercial Tax in the cases relating to the capital investment upto rupees three crore and to the commissioner of commercial Tax in the cases relating to the capital investment more than rupees three crores.

6. there shall be committees for considering the application made by such dealer for exemption from payment of entry tax under notification ,namely-

(i) **District level investment Promotion Empowered Committee consisting of the following persons-**

1. Collector of the district	Chairperson
2. Deputy Commissioner of the Commercial tax or his nominee not below the rank of a Commercial tax officer	Member
3. Managing director of the Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam or his nominee	Member
4. The General Manager, District trade and industries Center	Member Secretary

(ii)**State level investment Promotion Empowered Committee consisting of the following persons-**

1. Minister in charge Commerce and industry	Chairperson
2. Principal Secretary/ Secretary, Commercial tax department	Member
3. Principal Secretary/ Secretary, finance department	Member
4. Principal Secretary/ Secretary, Commerce and industry	Member

5. Commissioner, Commercial tax, Madhya Pradesh	Member
6. Industry Commissioner, Madhya Pradesh	Member Secretary

(iii) **Apex investment Promotion Empowered Committee consisting of the following persons-**

1. Chief Minister	Chairperson
2. Minister in charge Commerce and industry	Vice Chairperson
3. Minister in charge, Commercial Tax	Member
4. Minister in charge, Finance	Member
5. Chief Secretary	Member
6. Principal Secretary/ Secretary, Commerce and Industry Department	Member Secretary

(7) The quorum for the District level investment Promotion Empowered Committee shall be 3, but the quorum shall not be deemed to have been full in the absence of Member mentioned at serial no.2.

(8)The quorum for the State level investment Promotion Empowered Committee shall be 4, but the quorum shall not be deemed to have been full in the absence of any two member mentioned at serial no.2,3and 5.

(9) The quorum for the Apex level investment Promotion Empowered Committee shall be 3, but the quorum shall not be deemed to have been full in the absence of Member mentioned at serial no.3.

(10) The District level investment Promotion Empowered Committee shall adjudge the eligibility of industrial with capital investment upto rupees three crores.The State level investment Promotion Empowered Committee shall adjudge the eligibility of industrial with capital investment of more than rupees three crores ,but not exceeding rupees twenty five crores and the Apex level investment Promotion Empowered Committee shall adjudge the eligibility of industrial unit with capital investment of more than rupees twenty five crores.

(11)Application for grant of eligibility certificate made by dealers establishing industrial unit with capital investment upto rupees twenty three crores shall be considered by the District level investment Promotion Empowered Committee and eligibility certificate in such cases shall be issued by the General Manager District trade and industries center.

(12) Application for grant of eligibility certificate made by dealers establishing industrial unit with capital investment of more than rupees three crores ,but not exceeding rupees twenty five crore shall be considered by the State level investment Promotion Empowered Committee and the eligibility certificate in such cases shall be issued by the Industry Commissioner Madhya Pradesh.

(13) Application for grant of eligibility certificate made by dealers establishing industrial unit with capital investment of more than rupees twenty five crores ,shall be considered by the Apex investment Promotion Empowered Committee and the eligibility certificate in such cases shall be issued by the Principal Secretary/ Secretary, Commerce and industry Department.

(14)(i)The committee ordinarily meet once in a month but met in may be convened more frequently keeping in view the number of pending application and the committee may after consideration of each case decide to grant the eligibility certificate or reject the application made therefore or call for additional information.

(ii)Every application shall be disposed by the District level investment Promotion Empowered Committee or the State level investment Promotion Empowered Committee or the Apex investment Promotion Empowered Committee within 120 days of the date of its receipt.

(15) The Apex investment Promotion Empowered Committee Shall have full powers either suo motu or on reference ,to review its own decision or the decision of the State level investment Promotion Empowered Committee or to give direction to the State level investment Promotion Empowered Committee with regard to the scope and applicability of the scheme of exemption under this notification and the decision taken by the Apex investment Promotion Empowered Committee Shall be final and binding.

(16) The State Level investment Promotion Empowered Committee Shall have full powers either suo motu or on reference to review its own decision or the decision of the District level investment Promotion Empowered Committee or to give direction to the District level investment Promotion Empowered Committee with regard to the scope and applicability of the scheme of exemption under this notification and the decision taken by the District level investment Promotion Empowered Committee Shall be final and binding.

(17) The District level investment Promotion Empowered Committee may review its own decision, but the factual position relating to such cases shall be intimated by it to the State Level investment Promotion Empowered Committee within 30 days of the date of the decision of the review.

फार्म ''क''

वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक............................दिनांक...................... के अधीन प्रवेशकर के भुगतान से छूट की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन :–

मैं,...................................(व्यापारी का नाम) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र क्रमांक (टिन)...............................के धारक ने..... ....(स्थान) पर.............................नाम से मध्यप्रदेश के जिले में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है, जिसके संबंध में विशिष्टियां नीचे दी जा रही हैं :–

1. मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र का क्रमांक तथा तारीख जिसके द्वारा औद्योगिक इकाई को एक नई औद्योगिक इकाई होना प्रमाणित किया गया है. ....
2. औद्योगिक इकाई की अधिष्ठापित क्षमता ....
3. नई औद्योगिक इकाई में स्थिर आस्तियों में पूंजी विनिधान ....
4. औद्योगिक इकाई में विनिर्मित उत्पादों की विशिष्टियां ....
5. प्रति वर्ष अपेक्षित विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपभोग अथवा उपयोग अथवा आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग अथवा विनिर्मित माल की पैकिंग में उपयोग के लिये माल की विशिष्टियां. ....

	विवरण	माल का नाम	मात्रा
	1. कच्ची सामग्री	....	....
	2. आनुषंगिक माल	....	....
	3. पैकिंग सामग्री	....	....
6.	ऊपर वर्णित में से किसी भी कच्चे माल का प्रथम क्रय की तारीख	....	
7.	औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख	....	

आवेदक प्रार्थना करता है कि वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक......... ....तारीख.............................के अधीन प्रवेशकर के भुगतान से छूट की सुविधा के लाभ हेतु उक्त अधिसूचना के अधीन पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया जाए.

स्थान................................

तारीख............................ हस्ताक्षर

■ (जो लागू न हो उस काट दिया जावे)

FORM –A

Application for the grant of an eligibility certificate for availing of the facility of exemption from the payment of entry tax under Commercial Tax Department notification No..............dated............

I................... (Name of the dealer) of................. (Place) holding registration certificate no. (TIN)..................under Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 has established a new industrial unit under the name ....located at ....in the ....district of Madhya Pradesh the particulars whereof are given below-

1. No. and date of certificate issued by an authority duty authorized for the purpose by the Commerce and Industry Department of the Government of Madhya Pradesh certifying the industrial unit to be a new industrial unit ....

2. Installed capacity of the industrial unit ....

3. Capital investment in fixed assets in the new industrial unit ....

4. Particulars of goods to be manufactured in the industrial unit ....

5. Particulars with quantity of goods required each year of consumption or use as incidental goods in the manufacture of other goods and packing material required in the packing of manufactured goods

Description	Name of goods	Quantity
(1)Raw material	....	....
(2)Incidental goods	....	....
(3) Packing material	....	....

(6) Date of first purchase of any of the aforesaid raw material ....

(7) Date of commencement of production in the new industrial unit.................................

The application prays that may be granted an eligibility certificate in terms of Commercial Tax Department notification No...............dated ....for availing of the facility of exemption from the payment of entry tax under the said notification.

Place................

Date.................

Signature

FORM –B
Certificate of eligibility for exemption of entry tax

(Issued under Commercial Tax Department Government of Madhya Pradesh notification No..................dated.............................)

Certificate that the dealer ....holding registration No.(TIN)..............date ....under the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam ,1994 issued by the Commercial Tax officer.............circle is a manufacture in respect of the new industrial unit in the name of ....having his place of business in local area ....is eligible to avail of the facility of exemption from the payment of entry tax under Commercial Tax Department the notification. no. ....dated ....for a period of................ Years commencing from ....and ending on................

(2) the dealer has established a new industrial unit and is eligible for availing of the aforesaid facility of exemption in respect of the following raw material and incidental goods consumed or used in manufacture of other goods and packing material used in the packing of the manufactured goods and the raw materials incidental goods and packing materials are specified in the registration certificate under the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994

Description	Name of goods	Quantity
(1)Raw material	....	....
(2)Incidental goods	....	....
(3) Packing material	....	....

(3) The dealer has effected the first purchase of any of the aforesaid raw materials on ....

(4) The dealer has commenced production in the new industrial unit..............................

(5) This certificate is valid for the period from...............to............ Both days inclusive)

Place.............

Date..........

Signature.................

Designation................

Seal

By order and in the name of the Governer of Madhya pradesh.

Sd/-

(JAGDISH SHARMA)

Deputy Secratary

Govt.of Madhya Pradesh

Commercial Taxes Department

Mantralaya, Vallabha Bhawan ,BHOPAL

(कण्डिका क्रमांक 4.2.16)

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 04.04.2005

ए–3–68 / 2004 / 1 / पांच(22) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट देती है।

अनुसूची

माल का वर्ग	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन छूट स्वीकर की गई है
(1)	(2)
प्रवेश कर अधिनियम से संलग्न अनुसची दो में विनिर्दिष्ट माल	जब कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल प्रवेश कर अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन किसी व्यापारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय के लिए प्रविष्ट किया जाए और ऐसे माल का उसके द्वारा उसी क्षेत्र या किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र के दूसरे ऐसे व्यापारी को संलग्न प्रारूप में इस आशय के घोषणा पत्र पर तदनुसार विक्रय किया जाए कि क्रय किया जा रहा माल क्रेता द्वारा उसकी उस औद्योगिक इकाई में जिसके संबंध में वह वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए–3–68 / 04 / 1 / पांच (21) तारीख 04.04.05 के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र रखता है, अन्य माल के विनिर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में उपभोग या उपयोग के लिए या आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिए आशयित है।

परिशिष्ट
घोषणा का प्रारूप
(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक...
.......................तारीख ....के अधीन)

मैं ....(व्यापारी का नाम)..(स्थान) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र क्रमांक

(टिन)........................का धारक एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने श्री................................ (विक्रेता का नाम) से, जो उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र क्रमांक (टिन)........................ धारण करते हैं, उस माल का क्रय किया है जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, और उक्त माल मेरी औद्योगिक इकाई में, जो कि .... नाम से ....जिले में ....स्थान पर स्थित है, अन्य माल के विनिर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में उपभोग या उपयोग के लिए या आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिये आशयित है।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि –

(एक) मैं उक्त औद्योगिक इकाई के संबंध में जिसकी वैधता......................से ....तक है, पात्रता प्रमाण–पत्र क्रमांक........................तारीख.........................धारित करता हूं।

(दो) कच्ची सामग्री के रूप में उपभोग या उपयोग अथवा आनुषंगिक माल के रूप में उपयोग के लिए क्रय किया गया माल, उक्त अधिनियम के अधीन जारी मेरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट है, तथा

(तीन) मेरा उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा पात्रता प्रमाण–पत्र उपर्युक्त माल के क्रय की तारीख को प्रवर्तन में था।

क्रय किये गये माल की विशिष्टियां

■ क्रयआदेश / बिल / इन्वाइस / केशमेमो / चालान का क्रमांक व तारीख की विशिष्टियां	क्रय किये गये माल का वर्णन	मात्रा	मूल्य (रूपये में)
1	2	3	4
		कुल (योग)	

कुल मूल्य(अंको में) रूपये ....(शब्दों में)रूपये..केवल

स्थान.......................................

तारीख....................................   व्यापारी के हस्ताक्षर

■ जो लागू न हो उसे काट दें

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता / –
(जगदीश शर्मा)
उप सचिव,
म.प्र. शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

(Para No. 4.2.16)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT
NOTIFICATION

Bhopal,Dated 4/4/05

A-3-68/2004/1/V(21) In exercise of the powers conferred by section 10 of the Madhya pradesh sthaniya Kshetra Me Mal ke pravesh par kar Adhiniyam,1976 (No.52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act). the State Government hereby exempts in whole the class of goods specified in column (1) of the Schedule bellow, from payment of the entry tax under the said Act subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said schedule.

SCHEDULE

Class of goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted. (2)
Goods specified in schedule - II appended to the entry tax Act	When the goods specified in column (1) are entered in to a local area by a dealer liable to pay tax under the entry tax for sale and such goods are acordingly sold by him to another such dealer of the same or any other local area against a declaration in the appended loan to the effect that the goods being purchased are intended for consumption or use as raw material or for use as incidental goods in his industrial unit in respect of which he holds an eligibility certificate under Commercial Tax Department notification No. A-3-68/2004/1/V(22) dated 4/4/05

Form of Declaration

(under Commercial Tax Department notification No ....
dated...................)

I.................................(Name of the dealer) of..................(Place)hoding registration certificate No. (TIN)..............
under the Madhya Pradsh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 hereby, declare that I have purchased the goods particulars of which have been given below from.............................(Name of the seller) holding registration certificate No. (TIN) ....under the said Act and the said goods are intended for consumption or use as raw material or for use as incidental goods in the manufacture of other goods by me in my industrial unit under the name..................located at ....in district......................
I further declare that,-

(i) I hold an eligibility certificate No............dated................in respect of the said industrial unit which is valid from................to.....................

(ii) the goods purchased for consumtion for use, as raw material or for use as incidental goods are specified in my registraion certificate under the said Act. and

(iii) my aforesaid registration certificate and eligibility certificate were in force on the date of the aforesaid purchase of goods.

Particulars of goods purchased

▪ Particulars of purchase order/cash memo/challan No........Dt....... (1)	Description of goods purchased. (2)	Quantity (3)	Value (in Rs) (4)

Total

Total value (in figures) Rs......................(in words) Rs.................only
Date:
Place: (signature of dealer)

▪ strike out which is not applicable

By order and in the name of the
Governer of Madhya pradesh.
Sd/-
(JAGDISH SHARMA)
Deputy Secratary

Govt.of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department
Mantralaya, Vallabha Bhawan, BHOPAL

{कंडिका क्रमांक 4.2.16} – संशोधन

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्यिक कर विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 26.07.2005

क्रमांक ए–3–68/2004/1/पांच(35) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए–3–68–2004–1–पांच (21) दिनांक 04.04.2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

<u>संशोधन</u>

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात :–

''2 क. ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो, –

(1) खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग की दशा में, रूपये 100 करोड़, या

(2) रूपये 500 करोड़,

से अधिक के स्थायी पूंजी में निवेश से किसी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना करता है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कालावधि के अलावा और दो वर्षों के लिए प्रवेश कर के भुगतान से मुक्ति हेतु पात्र होगा.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./–
(जगदीश शर्मा)
उप सचिव,
म.प्र. शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

(Para No. 4.2.16)

Amendment

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT
NOTIFICATION

Bhopal,Dated 26/07/05

No. A-3-68/2004/1/V(35) In exercise of the powers conferred by section 10 of the Madhya pradesh sthaniya Kshetra Me Mal ke pravesh par kar Adhiniyam,1976 (No.52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act). the State Government hereby makes the following amendment in the department's Notification No. A-3-68-2004-1-V (21) dated 04-04-2005 namely :-

AMENDMENT

In the notification' after paragraph 2 , the following paragraph shall be inserted, namely :-

" 2 A. A registered dealer who establishes a new industrial unit with an investment in fixed capital of more than,-

(1) Rupees 100 crores, in case of food and agriculture based processing industry; or

(2) Rupees 500 crores,

shall be eligible for exemption from payment of entry tax for two more years in addition to the period specified in the Schedule."

By order and in the name of the
Governer of Madhya pradesh.
Sd/-
(JAGDISH SHARMA)
Deputy Secratary
Govt.of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department
Mantralaya, Vallabha Bhawan, BHOPAL

(कंडिका क्रमांक 5.1.14)

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

:: अधिसूचना ::

भोपाल, दिनांक 01.02.2005

ए–3–68/2004/1/पांच(02) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4–क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा :–

(क) नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में वर्णित स्थानीय क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करती है, तथा

(ख) उक्त अनुसूची के कालम (2) में वर्णित उस माल को विनिर्दिष्ट करती है, जिसका अन्य माल के विनिर्माण के लिये मुख्यतः उक्त स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग या उपभोग किया गया है, तथा–

(दो) निदेश देती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन व्यापारी द्वारा देय प्रवेशकर, उक्त अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट उक्त माल की दर का उसकी करादेय मात्रा पर प्रभारित किया जाएगा।

–अनुसूची–

स्थानीय क्षेत्र	माल	कर की दर
1	2	3
मध्यप्रदेश राज्य में समस्त स्थानीय क्षेत्र	कपड़े के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिये मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से किसी स्थान से लाया गया सूत (यार्न)	2 प्रतिशत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता/–
(जगदीश शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(Para No. 5.1.14)

GOVT. OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal, dated 01/02/2005

A-3-68/2004/1/5(02) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 A of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby -

(i) specifies -

(a) The local areas mentioned in column (1) of the Schedule below; and

(b) The goods mentioned in column (2) of the said Schedule which are used or consumed in the said local areas mainly for the manufacture of other goods, and

(ii) directs that as from the date of publication of this notification, the entry tax payable by a dealer under this Act shall be charged on his taxable quantum relating to the said goods at the rate specified in column (3) of the said Schedule

Schedule

Local area (1)	Goods (2)	Rate of tax (3)
All local areas in the state of Madhya Pradesh	Yarn brought from a place outside the state of Madhya Pradesh for use as raw material in the manufacture of cloth	2 percent

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh.

sd/-
(Jagdish Sharma)
Deputy Secretery
Govt. of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department
Ministry,Vallabh Bhawan, BHOPAL